App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (SDO) सिरोही मुकाम

विपिनकुमार अग्रवाल वगैरा बनाम जगदीशचन्द्र वगैरा

किस्म मुकदमा नाम-अपील धारा 75 L.R.Act अपील सं. 5/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
दि. 28-8-2018	पुकारने पर गवाह पेश हुई अपीलान्ट श्री विपिन कुमार अग्रवाल मय अपीलान्ट के वकील प्रकाश प्रजापत व रेस्पोडेन्ट जगदीशचन्द्र, अशोक कुमार वगैरा मय रेस्पोडेन्टगण के वकील श्री कलीम नव्वाब को हाजिर होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा नोटरी पब्लिक से सत्यापित शुदा तथा उक्त राजीनामा के साथ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण ने संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा में अंकित तथ्यों विस्तृत कथनों को पढ़कर पक्षकारान व उनके अधिवक्तागणों को सुनाया गया तो उक्त राजीनामे में लिखे तथ्यों को अपीलान्टगण व उनके वकील तथा रेस्पोडेन्टगण व उनके वकीलों ने सही होना स्वीकार कर आपसी समझ से राजी खुशी आपसी होने पर सहमति जाहिर की है। उक्त राजीनामीय कथनों पक्षों की सहमति के फलस्वरूप अपीलान्टगण के जरिये वकील विद्वान अपील इस अपील को विड्रावल किया है। अतः विद्वान अपील अपीलान्ट के जरिये विड्रावल नहीं होने से जरिये विड्रावल यह अपील अपीलान्ट का रिट्रेल आफ सूट से रिजेक्ट करते हुये जरिये विड्रावल यह अपील खारीज की जाती है।	अपीलान्ट Vipin पहचानकर्ता रेस्पोडेन्ट अशोककुमार Agarwal Vimla O. Agarwal Veena Agarwal मधु अग्रवाल लोक अदालत

उप-खण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

Continue Page

इस मूल अपील से संबंधित अन्य प्रार्थनापत्र सं. 179/2017 अन्तर्गत 81 L.R.Act विपिनकुमार बगैरा बनाम जगदीशचन्द्र बगैरा में पारित निर्णय दि० 22-6-2018 के अनुसार अपीलार्थी स्वीकृत नामान्तकरण सं. 531 दि० 6.10.2017 की पालना व क्रियान्विति प्रभाव वाली अन्य व्यक्तियों को विक्रय या किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करने हेतु मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के उक्त आदेश को उपरोक्तानुसार एतद्द्वारा दुरुस्त किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार हो। प्रार्थना नंबर से कम हो। रिस्पो. सं. 6 का वकालतनामा खारिज किया।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)